have not so far been nationalised and the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). Subject to product availability, New retail outlets (petrol/diesel pumps) are developed depending upon demand potential and economic viability of operations. On an average 200 retail outlets were planned to be opened each year by the oil companies. During the period 30-11-1979 to 30-11-1980, oil companies are reported to have added/opened 194 retail outlets (loan diesel and combined petrol/diesel pumps) as under:

Companies	Lone HSD	Combined MS/HSD
Indian Oil Corporation (upto 30-9-1980)	111	22
Hindustan Petroleum Corporation	27	..
Bharat Petroleum Corporation	5	4
Indo-Burma Petroleum Company	9	14
Assam Oil Company	2	..
	154	40

State-wise details of retail outlets as on 30-11-1979 and 30.11.80 are not readily available.

(c) Out of the five oil marketing companies mentioned above. Hindustan Petroleum Corporation is the sucessor of ESSO, and Caltax which were nationalised on 13-3-1974 and 30.12.1976 respectively. Bharat Petroleum Corporation is the sucessor of Burmah-Shell which was natianalised on 24-1-1976. Negotiations are in progress for the take-over of Assam Oil Company.

फिल्मों के अर्ध-नग्न तथा कामोत्तेजक दृश्यों को दिखाए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधेयक

3994. **श्री गजपाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मों में अर्धनग्न तथा कामोत्तेजक दृश्यों को दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक लाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ख) क्या सभी राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सेंसर बोर्ड को यह आदेश जारी किए हैं कि फिल्मों से कामोत्तेजक दृश्यों को कड़ाई से सेंसर किया जाय और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :

(क) और (ख). सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की जाती हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न हो । फिल्मों में अर्ध-नग्न और सैक्सी दृश्यों से निपटने के लिए बोर्ड के लिए और कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त या कानून जरूरी नहीं समझा जाता ।